

क्षेत्रीय ग्रेड-1 से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र क्षेत्रीय-1 को इस कार्यालय स्तर पर दिनांक 1.4.2006 एवं उसके पश्चात दिये गये दण्ड एवं लम्बित विभागीय जाँच की सूचना

क्र. सं.	नाम क्षेत्रीय वन अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जाँच अधिकारी नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री उदय सिंह भाटी पुत्र बृजबिहारी सिंह	—	—	—	—	—	—	—
2	श्री राम लाल कांछी पुत्र श्री धूली लाल	—	—	—	—	—	—	—
3	श्री भंवर सिंह कवियां पुत्र श्री गोविन्द सिंह	मु.व.सं. वा.वि.प. कोटा के आदेश सं0 3774-81 दि. 24.4.04 द्वारा निलम्बित किया गया एवं आदेश संख्या 11253-59 दि. 21.12.04 से बहाल किया गया।	—	—	—	—	प्रारम्भिक जाँच कार्यवाही मुवसं, कोटा के अधीन लम्बित है। आरोप पत्रादि अभी जारी नहीं हुए हैं।	—
4	श्री भुवनेश कुमार उत्तरेजा पुत्र गोविन्द राम	अवैध कटान एवं राज्य कार्य में लापरवाही	17	22.9.05	—	उवसं. सा.वा. अलवर के आदेश संख्या 12824-29 दि. 28.11.09 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध अपील इस कार्यालय में विचाराधीन है।	—	—
5	श्री अब्दुल रफीक खां पुत्र श्री अब्दुल समद	वर्ष 1998 में अवृष. सीकर के वृक्षारोपण बोपिया 7 आर.डी.एफ. एवं हरिपुरा आर.बी.एच में कार्य कम करवाना	16	27.12.01	—	—	संयुक्त विभागीय जाँच का प्रकरण कार्मिक (क-3) विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है।	—
		स्वैच्छा से अनुपस्थित रहना।	17	मवअ बारां के आदेश 9336 दि. 25.7.2008	—	—	—	मवअ, बारां के यहाँ विचाराधीन है।
		स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं राज्य कार्य में लापरवाही बरतने बाबत।	17	मवअ अजमेर के पत्रांक 6679-87 दि. 17.4.12	—	परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—

		अनुपस्थित रहते हुए हाजरी प्रेषित करने बाबत।	—	—	उवसं सीकर के आदेश सं० 4722-23 दि. 16.5.12	—	जॉच अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।	—
6	श्री रामबाबू भारद्वाज पुत्र भगवान सहाय	अनुचित एवं अशोभनीय आचरण करना एवं अशिष्टता का बर्ताव करना	17	मुवसं कोटा के पत्रांक 5806 दि. 7.6.2013	—	—	ज्ञापन पत्रांक मय आरोप पत्र वितरित करने हेतु मण्डल वन अधिकारी झालावाड़ को भिजवाये जा रहे हैं।	—
7	श्री विजय सिंह यादव पुत्र रामचन्द्र	सारस से डालमिया डेयरी क मध्य वृक्षारोपण से शीशम के वृक्षों का अवैध कटान से राज्य सरकार को रुपये 4200/- की क्षति पहुँचाना	17	15.9.88	—	इस कार्यालय के आदेश संख्या 1297-311 दि. 7. 5.07 द्वारा रुपये 4200/- वसूल करने तथा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
		राजस्थान वन अधिनियम के प्रकरण में समय पर कार्यवाही नहीं कर दायित्व/कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर विभाग को रुपये 23400/- की हानि पहुँचाना	16	9.4.02 CCF, KotA	मवअ भरतपुर 10.1.03	इस कार्यालय के आदेश संख्या 3976-83 दि. 18. 11.09 द्वारा रुपये 23,400/- वसूल करने एवं परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
8	श्री दौलत राम जिन्दल पुत्र श्री भगवत प्रसाद	फर्जी गैंग संगठन एवं पीस रेट बिल्लस तैयार कर मण्डल कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करना तथा बिना कार्य कराये फर्जी पीस रेट बिल्लस तैयार कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने का प्रयास करना।	17	12.4.2001	—	इस कार्यालय के आदेश सं० 1087-97 दि. 29.3. 2008 द्वारा श्री दौलत राम जिन्दल क्षेत्रीय की एक वेतन वृद्धि असंसचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	—	—
9	श्री दशरथ सिंह पंवार पुत्र श्री चतर लाल	—	—	—	—	—	—	—
10	श्री कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल	—	—	—	—	—	—	—
11	श्री भंवदेव सिंह आशियां पुत्र श्री रघुवीर सिंह	—	—	—	—	—	—	—
12	श्री राजेन्द्र प्रसाद गौड पुत्र श्री लोक पाल शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
13	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल (एस.सी.)	—	—	—	—	—	—	—

14	श्री प्रताप सिंह झाला पुत्र श्री हमीर सिंह	वर्ष 93-95 में वन मण्डल प्रतापगढ़ की रेन्ज धरियावद में शंकरचन्द-1 50 है0 में लक्ष्यों से कम कार्य करवाना, राजकीय राशि रुपये 47858 का दुरुपयोग कर एवं गबन करना तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना।	16	3.11.2000	उवसं, उदयपुर (उत्तर) 29.11.2001	इस कार्यालय के आदेश संख्या 2686-96 दि. 21.8.08 द्वारा रुपये 15360/- वसूल करने एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के विचाराधीन है।	-	प्रमुवसं राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.10()96/जॉच/ प्रमुवसं/3512 दि. 8.10.96 द्वारा सी.सी.ए. नियम के नियम 1958 के नियम 13 के तहत निलम्बित किया गया।
15	श्री सुधीर कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान प्रसाद	एल.सी.आर. संख्या 120/92 ईसा पुत्र रसूला बनाम भू-संरक्षण अधिकारी शाहपुरा में लापरवाही से राज्य सरकार को 17,820/- की आर्थिक हानि पहुँचाना	17	4301 दिनांक 23.11.04	-	इस कार्यालय के आदेश संख्या 1032-39 दि. 3.4.07 द्वारा रुपये 17820.00 की वसूली व परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	-	-
		एल.सी.आर. 116/92 महेन्द्र सिंह पुत्र सुखीराम बनाम वन संरक्षक अधिकारी शाहपुरा में लापरवाही, राज्य सरकार को 62,785/- की आर्थिक हानि पहुँचाना	17	2.6.2006	-	इस कार्यालय के आदेश संख्या 3337-45 दिनांक 11.9.09 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	-	-
		वर्ष 94-95 एवं 95-96 की अवधि में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों से पूर्व किसी क्षेत्र का माइक्रोप्लान नहीं बनाने वन सुरक्षा समितियों का गठन सही रूप से नहीं करने, दैनिक दैनन्दिनियों प्रस्तुत नहीं करने एवं कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षा बरतने बाबत।	17	30.8.97	-	मुवसं, अवृपरि. जयपुर के आदेश सं0 455-61 दि. 6.11.97 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध अपील करने पर प्रमुवसं के आदेश संख्या 2637-44 दि. 22.9.2006 द्वारा आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर मुवसं, अवृप, जयपुर के आदेश संख्या 455-61 दिनांक 6.11.97 द्वारा रोकी गई दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव के स्थान पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	-	-
16	श्री नवनीत कुमार टक्कर पुत्र श्री विनोद कुमार	ऑडिट ऑफीसर (रिब्यू) ए.जी.ऑफिस जयपुर के पत्र दिनांक 24.4.2000 के अनुसार वा.वि.परि. में कराये गये कार्यों का माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं कराना।	17	11.11.09	-	उवसं भीलवाडा के आदेश क्रमांक 5880-84 दि. 29.6.12 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	मुवसं, अजमेर ने पत्र क्रमांक 8643 दि. 28. 9.12 द्वारा श्री नवनीत कुमार टक्कर क्षेत्रीय की अपील प्रकरण इस कार्यालय को भिजवाया गया। अपील पर पत्र क्रमांक 3031 दिनांक 30.10.12 से मुवसं, अजमेर से टिप्पणी मय रिकार्ड चाही गई। जो अभी तक अप्राप्त है।	

17	श्री राजीव कपूर पुत्र श्री वी.एन. कपूर	ऑडिट ऑफिसर (रिब्यू) ए.जी.ऑफिस जयपुर के पत्र दिनांक 24.4.2000 के अनुसार वा.वि.परि. में कराये गये कार्यों का माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं कराना।	17	11.11.09	—	उवसं भीलवाडा के आदेश क्रमांक 5874-78 दिनांक 29.6.12 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री राजीव कपूर क्षेत्रीय द्वारा अपील इस कार्यालय में भिजवाई है। जिसे मूल ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3291 दि. 17.12.12 से मुवसं, अजमेर से टिप्पणी मय रिकार्ड चाही गई है। जो अप्राप्त है।	—
18	श्री रमाकान्त शर्मा पुत्र श्री उमा शंकर	—	17	—	—	उवसं अलवर के आदेश क्रमांक 1940-60 दिनांक 2.3.2002 से 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई। जिसकी अपील प्रमुवसं, जयपुर के आदेश क्रमांक 1428-39 दि. 26/28.4.2005 की पालना में उवसं, अलवर के आदेश संख्या 2100-08 दि. 29.2.2008 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
		—	17	—	—	उवसं, सावा, अलवर के आदेश क्रमांक 1962-78 दि. 2.3.2002 से दो वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई, जिसकी अपील पर प्रमुवसं, जयपुर के आदेश क्रमांक 1416-26 दि. 28.4.06 की पालना में उवसं, अलवर के आदेश सं0 2882-91 दि. 17. 7.08 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
		—	17	—	—	उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का के आदेश क्रमांक 7662 दिनांक 14.7.2010 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
19	श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री बट्टी नारायण	—	—	—	—	—	—	
20	श्री भगवान सिंह नाथावत पुत्र श्री पृथ्वी	—	—	—	—	—	—	
21	श्री प्रकाश चन्द कुमावत पुत्र श्री प्रभुराम	—	—	—	—	—	—	
22	श्री निखिल उभयकर पुत्र श्री शंकर नारायण	वर्ष 98-99 में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में भिन्नता पायी जाने पर	—	—	—	मवअ, बून्दी के आदेश संख्या एफ. 5(18) 2000- 01/जॉच/मवअ/9201-05 दिनांक 29.8.2006 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—

23	श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द	-	-	-	-	-	-	इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ.18(97)जॉच/प्रमुवसं/337-45 दिनांक 4.2.1997 द्वारा निलम्बन किया गया तथा प्रमुवसं, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.18() 97/जॉच/प्रमुवसं/142-50 दि. 27.1.98 द्वारा जॉच पेन्डिंग रखते हुए राज्य सेवा में पुनराधिष्ठापित किया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं है।
		-	-	-	-	मवअ, भरतपुर के आदेश क्रमांक 8061-66 दिनांक 23.7.09 से एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।	-	-
		-	-	-	-	मवअ, भरतपुर के आदेश क्रमांक 8192-97 दिनांक 22.7.09 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।	-	-
24	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मदन सिंह	-	-	-	-	-	-	-
25	श्री सुचैक गौड पुत्र श्री शिवदयाल	-	-	-	-	-	-	-
26	श्री राकेश कुमार माथुर पुत्र श्री एम. एल. माथुर	-	-	-	-	-	-	-
27	श्री पुष्पेन्द्र सिंह कटैला पुत्र श्री करण सिंह	वर्ष 96-97 में मवअ, भरतपुर के अधीन क्षेत्रीय डीग के पद पर कार्य करते हुए FWP/ FDP मॉडल योजना के अन्तर्गत ग्राम जसखोर मन्दिर (डीग) में वृक्षारोपण ग्रामीण सामुदायिक भूमि पर नहीं करवाकर राजस्व भूमि पर कराने के कारण दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य कराना।	17	4.12.09	-	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3102-08 दि. 15. 11.2011 द्वारा श्री पुष्पेन्द्र सिंह कटैला तत्कालीन क्षेत्रीय हाल सवसं को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	-	-
		कर्तव्योपेक्षा बरतना एवं वन अपराधियों का सहयोग।	17	उवसं कोटा 8932 दि. 7.6.2011	-	-	वन मण्डल स्तर से निस्तारण अपेक्षित है। प्रकरण निर्णय की कार्यवाही में है।	-
28	श्री गंगा सिंह पुत्र श्री हरि सिंह	-	-	-	-	-	-	-

29	श्री बृजपाल सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	—	—	—	—	—	—	—
30	श्री अब्दुल सलाम खान पुत्र श्री काजी गफूर मोहम्मद खॉ	—	—	—	—	—	—	—
31	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गोपाल सिंह	—	—	—	—	—	—	—
32	श्री फतेह सिंह राठौड पुत्र श्री शम्भू सिंह	—	—	—	—	—	—	—
33	श्री बृज मोहन कल्ला पुत्र श्री बालकृष्ण	—	—	—	—	—	—	—
34	श्री हेमचन्द्र जाट पुत्र गंगाराम	—	—	—	—	—	—	—
35	श्री शैलेन्द्र सिंह यादव पुत्र केशव चन्द	—	—	—	—	—	—	—
36	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह राठौड	—	—	—	—	—	—	—
37	श्री खुमान सिंह पुत्र श्री डूगरसिंह	—	—	—	—	—	—	—
38	श्री सुखराम काला पुत्र श्री पूनाराम	—	—	—	—	—	—	—
39	श्री राजेश कुमार फागना पुत्र श्री भंवर लाल	—	—	—	—	—	—	—
40	श्री हनुमान सिंह राठौड पुत्र श्री गंगा सिंह	—	—	—	—	—	—	—
41	श्री भाग चन्द लोढ़ा पुत्र श्री टीकम चन्द	—	—	—	—	—	—	—
42	श्री राधेश्याम प्रजापति पुत्र श्री झण्डी लाल	वर्ष 96-97 में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी कोटा के अधीन कार्य करते हुए विभिन्न अनियमितताएँ करना	16	30.10.1998	आयुक्त (तृतीय) वि. जा, जयपुर 25.10.2000	कार्मिक विभाग के आदेश संख्या एफ. 1(248)का/क-3/ जॉच/97 दि. 3.5.10 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	—	—

43	श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री उमा दत्त	—	—	—	—	—	—	—
44	श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री बी०पी० शर्मा	वर्ष 1995 में अलवर वन मण्डल की रेन्ज लक्ष्मणगढ में 6613/—रूपये का अस्थायी व 90,212/— का स्थायी गबन करना।	16	26.8.96	वसं, अवृप. जयपुर 26.4.97	2 प्रमुवसं कार्यालय के आदेश संख्या 3257—65 दि. 9.10.2002 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियों संचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने पर राज्यादेश संख्या एफ.11(1)वन/03 दि. 10.10.08 द्वारा पूर्व दण्ड के स्थान पर परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
		रेन्ज लक्ष्मणगढ के वृक्षारोपण नांगल ए व नांगल बी में कार्य कम करवाकर 71845/— की हानि पहुँचाना आदि	16	6.11.2002	—	—	संयुक्त विभागीय जाँच का प्रकरण है जो कार्मिक (क-3) विभाग के विचाराधीन है।	—
45	श्री मुन्ना लाल अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल	—	—	—	—	—	—	—
46	श्री महेश कुमार तिवाड़ी पुत्र श्री शंकर लाल	—	—	—	—	—	—	—
47	श्री रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री नृसिंह लाल	—	—	—	—	—	—	—
48	श्री भंवर लाल सारण पुत्र श्री रामेश्वर लाल	—	—	—	—	—	—	—
49	श्री नेकीराम जाट पुत्र श्री भोलूराम	—	—	—	—	—	—	—
50	श्री धर्मपाल यादव पुत्र श्री जरमल सिंह	उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना	17	उवसं बून्दी 5840 दिनांक 16.5.11	—	—	जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण वन मण्डल स्तर से निर्णय अपेक्षित है।	—
51	श्री रामपत यादव पुत्र श्री जगमाल सिंह	बिना कार्य कराये फर्जी पीस रेट बिल तैयार कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचायी जाने का प्रयास करना	17	17.5.04	—	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1087—97 दिनांक 29.3.08 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया। निलम्बन काल में मिले निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कुछ नहीं देने एवं निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनार्थ राज्य सेवा में मानी जाने का निर्णय लिया गया।	—	—

52	श्री श्योराम यादव पुत्र श्री जगन्नाथ	अनूपगढ़ शाखा की आर.डी. 27-68 पर 621 पेड़ों का अवैध कटान बाबत।	16	1630/ 17.6.2011	9.3.2012	—	उवसं (प्रशासन) कार्यालय मुवसं, बीकानेर द्वारा जाँच की जा रही है।	—
		पदस्थापन अवधि 04/05 से 24.6.06 तक क्षेत्रीय बिरधवाल के पद पर रहते हुए इ.गा.न.परि. मुख्य नहर की आर.डी. 268-269 पर 300 पेड़ों के अवैध कटान से राज्य सरकार को रूपये 2,47,830/- की हानि पहुँचाकर राज्यकार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतना।	16	169/30.1.2012	26.12.2012	—	वसं, कार्यालय मुवसं, बीकानेर द्वारा प्रकरण की जाँच की जा रही है।	—
		एल.सी.आर. संख्या 799/98 हसन खॉ बनाम उप वन संरक्षक, सीकर प्रकरण में विभाग के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय अवाईड पारित किये जाने के कारण 85,139/- रूपये का अनावश्यक आर्थिक भार पडना। आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करना तथा कर्तव्योपेक्षा करना।	17	18.8.2011	—	प्रमुवसं कार्यालय के आदेश संख्या 119-29 दि. 22.1.2013 द्वारा श्री श्योराम यादव क्षेत्रीय से राजकीय हानि राशि रूपये 85,139/- की वसूल करने का दण्ड दिया गया।	—	—
		रेन्ज विरधवाल में समायोजन के दौरान पारपत्र बुक छपवाये जाने में दोषी पाये जाने बाबत।	17	4287 दिनांक 1.7.2006	—	उप वन संरक्षक श्री गंगानगर पत्र क्रमांक 687-91 दिनांक 31.1.2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	—	—
		राज्य से बाहर लकड़ी परिवहन हेतु पारपत्र जारी करने बाबत।	17	4288/1.7.06	—	उप वन संरक्षक श्री गंगानगर पत्र क्रमांक 829-33 दिनांक 3.2.2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	—	—
53	श्री दौलत सिंह शक्तावत पुत्र श्री गणपत सिंह	—	—	—	—	—	—	
54	श्री रेवत सिंह गोदार पुत्र श्री भग्गाराम	—	—	—	—	—	—	
55	श्री महकराम विश्नोई पुत्र श्री हनुमानराम	—	—	—	—	—	—	
56	श्री नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री राम रिछपाल	—	—	—	—	—	—	

57	श्री विधु शेखर दवे पुत्र श्री मांगीलाल	—	—	—	—	—	—	—
58	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री कुरडाराम	—	—	—	—	—	—	—
59	श्री श्रवण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द	—	—	—	—	—	—	—
60	श्री महाबीर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण राम	—	—	—	—	—	—	—
61	श्री कैलाश लाल पुरोहित पुत्र दाऊलाल पुरोहित	—	—	—	—	—	—	—
62	श्री भरत सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामचन्द्र	—	—	—	—	इस कार्यालय के आदेश सं० 1474-93 दि. 2.4.05 द्वारा निल० किया गया एवं आदेश संख्या 5629-39 दिनांक 27.9.05 द्वारा बहाल किया गया	प्रारम्भिक जाँच कार्यवाही मु. व. सं. कोटा के अधीन विचाराधीन है। आरोप पत्रादि अभी जारी नहीं हुए हैं।	—
		एल.सी.आर. 82/93 हीरालाल बनाम मवअ झालावाड़ में अनियमितता।	17	उवसं झालावाड़ का पत्रांक 6754 दि. 22.5.2013	—	—	वन मण्डल स्तर से निस्तारण अपेक्षित है।	—
		पद का दुरुपयोग करना एवं अवैध खनन में लिप्त होना।	17	7433/10.6.09	—	मवअ, कोटा के आदेश क्रमांक 974-84 दि. 18.1.12 से एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	प्रकरण निर्णित	—
63	श्री देवेन्द्र कुमार जोशी पुत्र पी.एल. जोशी	—	—	—	—	—	—	—
64	श्री राम लाल ताण्डी पुत्र भबूत राम	—	—	—	—	—	—	—
65	श्री सत्यनारायण सिंह शक्तावत पुत्र अमर सिंह	—	—	—	—	—	—	—
66	श्री जयदीप सिंह राठौड़ पुत्र श्री उम्मेद सिंह	—	—	—	—	—	—	—
67	श्री प्रताप शंकर यादव पुत्र श्री कल्याण सहाय	3 वर्ष 92-93 में क्षेत्रीय लक्ष्मणगढ़ के पद पर कार्य करने के दौरान वृक्षारोपण किरोडीकुण्ड 60 है० के कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतना तथा राज्य सरकार को 1,61,623/- की आर्थिक हानि पहुँचाना।	17	24.5.06	—	—	3 अति. अभिलेख भिजवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र दि. 14.9.07 द्वारा निर्देश दिये गये। प्रकरण इस कार्यालय स्तर पर विचाराधीन है।	—

		—	—	—	—	उवसं, सावा, अलवर के आदेश सं0 58-62 दि. 3.1.06 से दो वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
		—	—	—	—	भू-संरक्षण अधिकारी (वानिकी) बनास नदी परियोजना, टोंक के आदेश संख्या 762-769 दि. 28.4.2010 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
68	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री गोविन्द सिंह	—	—	—	—	—	—	—
69	श्री अनोप सिंह खिडिया पुत्र श्री मोहन दास	—	—	—	—	—	—	—
70	श्री जुगलकिशोर गज्जा पुत्र श्री शिव प्रसाद	—	—	—	—	—	—	—
71	श्री बजरंगलाल यादव पुत्र श्री भवान यादव	—	—	—	—	—	—	—
72	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री राम भरोसी	—	—	—	—	—	—	—
73	श्री सुरेन्द्र चौहान पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह	—	—	—	—	—	—	—
74	श्री नाथाराम चौधरी पुत्र श्री दुर्गाराम	—	—	—	—	—	—	—
75	श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ज्ञानप्रकाश	एल.सी.आर. 47/93 पुष्पाबाई बनाम उवसं, सा.वा. कोटा में अनियमितता बाबत	16	मुवसं कोटा का आदेश क्रमांक 3669 दिनांक 20.4.01	मवअ, कोटा क्रमांक 650-56 दि. 18.1.03	—	जॉच पूर्ण हो चुकी है। प्रतिवेदन तैयार करने की कार्यवाही विचाराधीन है।	—
		वर्ष 2000 में मवअ, बारां (पश्चिम) के अधीन रेन्ज छीपाबडोद के वृक्षारोपण कचनारिया कलां ए तथा बी वर्ष 1998 में पीसरेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली में दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर रूपये 67104/-का गबन करना, पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली की नियमावली में दिये गये दिशा निर्देश अनुरूप भौतिक सत्यापन का कार्य नहीं कर पालना	16	25.2.09	आयुक्त द्वितीय विभागीय जॉच 21.1.2011	—	प्रकरण कार्मिक विभाग के विचाराधीन है।	—

		नहीं करना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं दैनिक दैनन्दिनी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना।						
76	श्री समुद्र सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह	—	—	—	—	—	—	—
77	श्री शत्रुघ्न सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह	—	—	—	—	—	—	—
78	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह	—	—	—	—	—	—	—
79	श्री धनपत सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह	—	—	—	—	—	—	—
80	श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम स्वामी	—	—	—	—	—	—	—
81	श्री उदयराम पुत्र श्री हरभगत राम	टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने के कारण राजकीय कार्य में लापरवाही	—	—	—	—	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(28) वन/05 दि. 1.4.05 द्वारा निल0 किया गया एवं इस कार्यालय के आदेश संख्या 1846 दिनांक 9.6.06 द्वारा बहाल किया गया। आरोप पत्र अभी जारी नहीं किये गये हैं।	प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा की जा रही है (30.10.12)
82	श्री पूरण मल चौधरी पुत्र श्री श्याम लाल	विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना कर विकास कार्य कराना।	17	उवसं, सा.वा. स. माधोपुर के ज्ञापन सं0 5394 दि. 12.11.09	—	—	प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है। आगामी कार्यवाही किया जाना शेष है।	—
		07-08में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम नरेगा योजना अन्तर्गत बिना जॉब कार्ड धारी श्रमिक नियोजित कर श्रम दायित्व सृजित करना।	17	उवसं डूंगरपुर का ज्ञापन संख्या 7718-33 दि. 28.9.2010	—	प्रमुवसं कार्यालय के आदेश संख्या 2654-62 दि. 29.8.2012 द्वारा श्री पूरण मल चौधरी क्षेत्रीय से राजकीय हानि की राशि रुपये 51,752/- वसूल करने तथा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
		वर्ष 2007-08 के दौरान वन मण्डल डूंगरपुर की रेन्ज बिछीवाडा में पदस्थापन के दौरान राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कंवला पीपल 50 है0 (19104) में कराये गये विकास कार्यों की शत प्रतिशत गणना सवसं से करायी जाने पर रुपये 1,21,386/- के कार्य कम करवाकर राज्य सरकार को संयुक्त रूप से हानि पहुँचाना एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना।	17	उवसं डूंगरपुर का ज्ञापन संख्या 989-92 दि. 21.2.2011	—	प्रमुवसं कार्यालय के आदेश संख्या 2645-53 दि. 29.8.2012 से श्री पूरण मल चौधरी क्षेत्रीय से राजकीय हानि की राशि रुपये 1,21,386/- का 50 प्रतिशत रुपये 60,693/- वसूल करने तथा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
83	श्री राजेन्द्र सिंह	प्लान्टेशन सलावदिया एबीसीडी रेन्ज	16	उवसं बून्दी का	—	—	मुवसं कोटा के यहाँ विचाराधीन है।	—

	जाखड पुत्र श्री पोखर राम	हिण्डौली में कम कार्य कराने हेतु।		पत्रांक 4618 दिनांक 20.4.12				
		प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदन हेतु अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने एवं बिना अनुमति मुख्यालय कार्यक्षेत्र से बाहर रहना।	17	—	—	मवअ बून्दी के आदेश क्रमांक एफ.5()जॉच/मवअ/06/ 2474-80 दिनांक 28.2.07 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
		बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित रहना एवं निर्देशों की अवहेलना करने बाबत।	17	—	—	मवअ बून्दी के आदेश क्रमांक एफ.5()जॉच/मवअ/07/ 2487-93 दिनांक 28.2.07 के द्वारा दो वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
		लोकसेवक द्वारा वर्दी नहीं पहनने के क्रम में बहाना बनाना।	17	—	—	मवअ बून्दी के आदेश क्रमांक एफ.5()जॉच/मवअ/07/ 2517-23 दिनांक 20.2.07 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
		उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं राज्य कार्य में असहयोग करना।	17	—	—	मवअ बून्दी के आदेश क्रमांक एफ.5()जॉच/मवअ/2010/ 411-15 दिनांक 13.1.2010 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
84	श्री मुकेश कुमार तिवाडी पुत्र श्री जीएल तिवाडी	उवसं, सावा. अलवर के अधीन रेन्ज लक्ष्मणगढ़ में वृक्षारोपण नांगल ए एवं नांगल बी में कार्य कम करवाकर 1,59,338/-की आर्थिक हानि पहुँचाना।	16	6.11.02	—	—	संयुक्त विभागीय जॉच का प्रकरण है जो कार्मिक (क-3) विभाग के विचाराधीन है।	—
85	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री शिवचरण गुप्ता	इ.गा.न.परि. खण्ड-गा, बीकानेर में बिना कार्य कराये फर्जी मस्ट्रोल भरकर भुगतान प्राप्त करने एवं राज्य सरकार को 1,49,692/- की आर्थिक हानि पहुँचाना।	16	प.1(143) का/क-3/02 दि. 22.10.02	—	—	संयुक्त विभागीय जॉच के प्रकरण में आरोप पत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये थे। जो वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा विभाग के स्तर पर कार्यवाही करने हेतु भिजवाये गये हैं। प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है।	—
		एल.सी.आर. प्रकरण सं0 27/93 महावीर प्रसाद बनाम मवअ, बून्दी	16	मुवसं, कोटा का आदेश 94-95 दि. 20.3.02	उवसं, बन्ध जीव, कोटा क्रमांक 8341- 50 दि. 1.12.07	—	जॉच अधिकारी के विचाराधीन है।	—

		एल.सी.आर. प्रकरण सं0 65/93 गुमान सिंह बनाम मवअ, बून्दी	16	मुवसं कोटा के पत्रांक 8990 दिनांक 29.3.02	उवसं, बन्ध जीव, कोटा 8341-50 दि. 1.12.07	मुवसं, कोटा के आदेश संख्या 5299-07 दिनांक 28.5.2013 से एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।	-	-
		एल.सी.आर. प्रकरण सं0 164/93 रामचरण बनाम मवअ, बून्दी	16	मुवसं कोटा के पत्रांक 153/सी दि. 10.4.02	उवसं, बन्ध जीव, कोटा 8341-50 दि. 1.12.07	-	जाँच अधिकारी के विचाराधीन है।	-
		एल.सी.आर. प्रकरण सं0 165/93 फतेह सिंह बनाम मवअ, बून्दी	16	मुवसं कोटा के पत्रांक 811/सी दि. 30.10.03	उवसं, बन्ध जीव, कोटा 3031 दि. 15.5.07	-	जाँच अधिकारी के विचाराधीन है।	-
		एल.सी.आर. प्रकरण सं0 72/94 व प्रार्थना पत्र संख्या 108/97 देवीलाल बनाम मवअ, बून्दी	17	मुवसं कोटा का आदेश क्रमांक 524 दि. 8.7.03	-	-	जाँच अधिकारी के विचाराधीन है।	-
		आदेशों की अवहेलना करना एवं सूचना के संबंध में।	17	19.4.10	मवअ, अजमेर	-	कार्यवाही जारी है।	-
86	श्री तेजवीर सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह	-	-	-	-	-	-	-
87	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	-	-	-	-	-	-	-
88	श्री जयसिंह बालावत पुत्र श्री बृजराज बालावत	-	-	-	-	-	-	-
89	श्री चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री सोहन लाल	-	-	-	-	-	-	-
90	श्री महेश कुमार चौधरी पुत्र जहानसिंह (प्रोवीजनल)	-	-	-	-	-	-	-

91	श्री जगेन्द्र सिंह पुत्र श्री नौरंगराम	—	—	—	—	वसं, सीकर के आदेश संख्या 2614-17 दि. 3.5. 2006 के द्वारा एल.सी.आर. 79/95 में दोषी पाये जाने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	—	—
92	श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह	—	—	—	—	—	—	—
93	श्री जोधराज सिंह हाडा पुत्र श्री कल्याण सिंह	—	—	—	—	—	—	—
94	श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री के.एन. शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
95	श्री जगदीश प्रसाद दैया पुत्र श्री उदाराम	—	—	—	—	—	—	—
96	श्री भीमाराम जाट पुत्र श्री घीसाराम	—	—	—	—	—	—	—
97	श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह	नाका प्रसार पचपहाड वन क्षेत्र में जेसीबी मशीन चलाकर पेड उखाडना एवं जमीन समतल करने बाबत।	16	मुवसं कोटा का पत्रांक 5613-15 दि. 31.7.07	उवसं कोटा 2675-80 दि. 4.4.08	—	उवसं कोटा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।	—
		रेन्ज नाहरगढ़ के वर्ष 2004 में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं कटान।	16	मुवसं कोटा के पत्रांक 4631-35 दि. 26.6.07	उवसं कोटा 5138 दि. 8.5.2012	—	उवसं कोटा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।	—
98	श्री मंगल सिंह राठौड पुत्र श्री अनूप सिंह	—	—	—	—	—	—	—
99	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल	—	—	—	—	—	—	—
100	श्री भीखाराम पूनिया पुत्र श्री मांगीलाल	—	—	—	—	—	—	—
101	श्री सूरत सिंह पूनिया पुत्र श्री धौलाराम	—	—	—	—	—	—	—
102	श्री उम्मेद सिंह पूनिया पुत्र श्री धौलाराम	—	—	—	—	—	—	—
103	श्री केसरी सिंह राठौड पुत्र श्री दातार सिंह	—	—	—	—	—	—	—
104	श्री दलपत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री भोमसिंह	एल.सी.आर. 70/93 गणेशीबाई बनाम उवसं बारां एवं अन्य में राज्य कार्य में लापरवाही कर सरकार को 3,88,191/- की हानि पहुँचाना।	16	मुवसं कोटा के पत्रांक 3840 दि. 19.4.06	वसं, कोटा 3897 दिनांक 5.6.09	—	जॉच रिपोर्ट वसं कोटा से प्राप्त होना अपेक्षित है।	—
105	श्री सुभाष चन्द गुप्ता	—	—	—	—	—	—	—

	पुत्र श्री पूरण मल							
106	श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री मदन सिंह	—	—	—	—	—	—	—
107	श्री महिपाल सिंह जुगतावत पुत्र श्री सवाइ सिंह	—	—	—	—	—	—	—
108	श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्ररामकुमार लाल गुप्ता	—	—	—	—	—	—	—
109	श्री भीमसिंह सोलंकी पुत्र स्व.श्री परमाल सिंह	—	—	—	—	—	—	—
110	श्री चिमनाराम चाहर पुत्र श्री रामलाल सिंह	वर्ष 02 में क्षेत्रीय वन अधिकारी विरधवाल के पद पर पदस्थापन के दौरान भोजेवाला माइनर पर अवैध कटान से राज्य सरकार को 31380/- की आर्थिक हानि पहुँचाना	17	वसं, स्टेज-1 बीकानेर का क्रमांक 680/A दि. 23.2.06	—	—	राजकीय राशि की वसूली होने के कारण प्रकरण इस कार्यालय में प्राप्त होने पर श्री चाहर को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर सुनवाई की जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1566 दि. 21.6.13 से मुवसं, बीकानेर से कुछ बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है।	—
		अनूपगढ़ शाखा की आर.डी. 27-68 पर 621 पेड़ों का अवैध कटान बाबत।	16	17.6.11	—	—	प्रकरण की जाँच विचाराधीन है।	—
		क्षेत्रीय वन अधिकारी नोहर के पद पर पदस्थापित रहते दि. 19.3.2010 से 21.3.2010 तक बिना सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं राज्य कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतना।	17	8977 दिनांक 11.11.2010	—	उवसं, हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 6472-78 दिनांक 15.7.2011 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—
111	श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह	वृक्षारोपण स्थलों पर पौधो जीवितता प्रतिशत कम पाये जाने के कारण	17	उवसं, ओ.ई.सी. एफ. जैसलमेर 1610-14 दि. 13.7.10	—	—	प्रत्युत्तर प्राप्त होना शेष है।	
112	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री सूरजन सिंह	—	—	—	—	—	—	—
113	श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री सत्यप्रकाश जैन	—	—	—	—	—	—	—

114	श्री गजनफर अली जेदी पुत्र श्री मुदबिबिर अली	वन्य जीव, जयपुर रेन्ज के अधीन रेन्ज नाहरगढ़ का मुख्यालय विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड नं० 1 से स्वैच्छिक रूप से काला महादेव करने के कारण	17	8779 दिनांक 16.8.2012	उवसं, वन्य जीव, जयपुर	मुवसं, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक 384-391/सी दि. 14.12.2012 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	-	-
		राजकार्य में लापरवाही एवं कार्यालय को गुमराह करने बाबत	17	-	-	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के दण्डादेश क्रमांक 65-71/सी दि. 22.4.2013 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	-	-
		राजकार्य में लापरवाही एवं कार्यालय को गुमराह करने बाबत	17	-	-	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर के दण्डादेश क्रमांक 50-57/सी दि. 22.4.2013 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	-	-
115	श्री जयराम पुत्र श्री जगतनारायण	-	-	-	-	-	-	-
116	श्री फुरखान अली खत्री पुत्र अब्दुल रहमान खत्री	-	-	-	-	-	-	-
117	श्री किशोर गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	-	-	-	-	-	-	-
118	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरी राम	-	-	-	-	-	-	-
119	श्री शैतान सिंह देवड़ा पुत्र रणजीत सिंह देवड़ा	-	-	-	-	-	-	-
120	श्री सुरेश मिश्रा पुत्र श्री डी पी मिश्रा	-	-	-	-	-	-	-
121	श्री रेखाराम पुत्र श्री हनुमानाराम	-	-	-	-	-	-	-
122	श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री केशव प्रसाद	-	-	-	-	-	-	-
123	श्री नरपत सिंह चारण पुत्र श्री कानसिंह चारण	अवैध कटान हेतु	16/18	मुवसं जोधपुर का पत्रांक 277 दि. 18.7.02	-	मुवसं जोधपुर के आदेश क्रमांक 466-74 दिनांक 23.12.03 के द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	-	-
124	श्री योगेश शर्मा पुत्र श्री श्याम शंकर शर्मा	-	-	-	-	-	-	-

125	श्री वीर सिंह पुत्र श्री सांवलराम जाट	—	—	—	—	—	—	—
126	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मणराम	रेन्ज उदयपुर वाटी में वर्ष 96-98 के मध्य कराये गये वृक्षारोपण कार्यो में कम कार्य करवाया जाकर माप पुस्तिका में अधिक कार्य दर्ज कर राज्य सरकार को संयुक्त रूप से 1,24,489.00 रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाना।	16	27.7.2006	—	—	प्रकरण कार्मिक(क-3) विभाग में विचाराधीन है।	—
127	श्री शेदा हुसैन पुत्र श्री शरवावत	—	—	—	—	—	—	—
128	श्री वीरभद्र मिश्र पुत्र श्री मणीशंकर मिश्र	—	—	—	—	—	—	—
129	श्री उदाराम सियोल पुत्र श्री रामूराम	—	—	—	—	—	—	—
130	श्री मदनसिंह बोरा पुत्र श्री सरदार सिंह बोरा	सिल्वीपेस्टोरल प्लान्टेशन योजना में विलेज कॉमन लेण्ड के स्थान पर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य का निष्पादन।	17	मवअ बारां का आदेश क्रमांक 10136 दिनांक 9.11.09	—	—	—	मवअ, बारां के यहाँ विचाराधीन है।
131	श्री दिलीप सिंह वर्मा पुत्र श्री गोपाल हरि वर्मा	—	—	—	—	—	—	—
132	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री फूलसिंह	—	—	—	—	—	—	—
133	श्री दीपक कुमार गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता	सिल्वीपेस्टोरल प्लान्टेशन योजना में विलेज कॉमन लेण्ड के स्थान पर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य का निष्पादन।	17	मवअ बारां का आदेश क्रमांक 10134 दिनांक 9.11.09	—	—	—	मुवस कोटा के यहाँ विचाराधीन है।
		वर्ष 95-98 में व्यय पक्ष के लेखों की जाँच	16	मुवसं कोटा 3760-72 दि. 21.4.01	वसं कोटा 8967 दि. 20.8.02	—	जाँच रिपोर्ट वसं कोटा से प्राप्त होना अपेक्षित है।	—
134	श्री राजबिहारी मित्तल पुत्र श्री महादेव प्रसाद	—	17	—	—	मवअ, बून्दी के आदेश क्रमांक 11349-64 दि. 30. 8.10 के द्वारा सीसीए 17 के अन्तर्गत राजकीय हानि रुपये 12899/- की वसूली करने का दण्ड दिया गया।	—	—

135	श्री समीउल्ला खॉ पुत्र श्री मोहम्मद इशाक	सिल्वीपेस्टोरल प्लान्टेशन योजना में विलेज कॉमन लेण्ड के स्थान पर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य का निष्पादन।	17	मवअ बारां का आदेश क्रमांक 10138 दिनांक 9.11.09	—	—	—	मुवसं कोटा के यहाँ विचाराधीन है।
		वर्ष 1995-98 में व्यय पक्ष के लेखों की जाँच	16	मुवसं कोटा का पत्रांक 3760-72 दि. 21.4.01	वसं कोटा 8967 दिनांक 20.3.02	—	जाँच रिपोर्ट वसं कोटा से प्राप्त होना अपेक्षित है।	—
136	श्री जगदीश चन्द गुप्ता पुत्र गोपाल दास गुप्ता	बीड घास काल्याखाल वर्ष 2010-11 से विभागीय रूप से राशि वसूल नहीं करने बाबत।	16	मुवसं कोटा का पत्रांक 8770 दि. 26.8.2011	उवसं (प्रशासन) कार्या. मुवसं कोटा 8662-70 दि. 13.8.12	—	जाँच रिपोर्ट जाँच अधिकारी से प्राप्त होना अपेक्षित है।	—
137	श्री राजेश सरोलिया पुत्र श्री सीताराम सरोलिया	—	—	—	—	—	—	—
138	श्री लक्ष्मण कुमार स्वामी पुत्र हनुमान दास स्वामी	असफल वृक्षारोपण	17	उवसं विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसलमेर के पत्रांक 3692 दि. 5.5.06	उवसं विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसलमेर	उवसं, विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसलमेर के आदेश क्रमांक 4928 दि. 26.8.06 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	—	—
139	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उमाराम	—	—	—	—	—	—	—
140	श्री दिलीपसिंह राठौड पुत्र बिरजूसिंह	—	—	—	—	—	—	—
141	श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री केदार नाथ	—	—	—	—	—	—	—
142	श्री बृजमोहन गुप्ता पुत्र श्री राधामोहन गुप्ता	—	—	—	—	—	—	—
143	श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह	—	—	—	—	—	—	—
144	श्री मनफूल विश्नाई पुत्र श्री किशन लाल	—	—	—	—	—	—	—
145	श्री मदनसिंह चारण पुत्र श्री करणी सिंह	—	—	—	—	—	—	—

146	श्री रणवीर सिंह भण्डारी पुत्र श्री केएस भण्डारी	—	—	—	—	—	—	—
147	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल	—	—	—	—	—	—	क्षेत्रीय वि.का.ई. अनुपगढ़ में पदस्थापन अवधि वर्ष 2002— 03 का लकड़ी बेचान पर सेल्स टैक्स जमा नहीं कराने, सी.एस.टी./आर.एस.टी./वेट का समय पर निर्धारण नहीं करने के संबंध में उवसं, विका बीकानेर ने उनके पत्र संख्या 665 दि. 21.3.13 एवं 711 दिनांक 28.3.13 द्वारा बकाया मांग राशि 1500371/ रूपये जमा कराने का नोटिस जारी कर मुवसं, विका जयपुर को इनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों 1958 के तहत कार्यवाही हेतु लिखा गया।
148	श्री संजय कौशिक पुत्र श्री चन्द्र देव शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
149	श्री ओम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री भाव सिंह	—	—	—	—	—	—	—
150	श्री गुलजारी लाल जाट पुत्र स्व.श्री भगवान सहाय	—	—	—	—	—	—	—
151	श्री दिनेशकुमार शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
152	श्री अरविन्द कुमार झा पुत्र श्री भूपनारायण	वन्य जीव सुरक्षा कार्य में लापरवाही बरतना	17	—	—	उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का के दण्डादेश क्रमांक 12171—76 दिनांक 12.11.2009 से एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	—	—
		राज्यकार्य में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।	17	—	—	उवसं, बाघ परियोजना सरिस्का के दण्डादेश क्रमांक 12178—83 दिनांक 12.11.09 से एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	—	—
153	श्री पोकरमल जाट पुत्र श्री धन्नाराम जाट	—	—	—	—	—	—	—

154	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री गणपत सिंह	—	—	—	—	—	—	—
155	श्री रामावतार दूधवाल पुत्र श्री हेमराम दूधवाल	—	—	—	—	—	—	—
156	श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र श्री किशनलाल	बिना सक्षम स्वीकृति के साइट पर वृक्षों का अनाधिकृत रूप से पात करना, लकड़ी चोरी एवं अवैध निकासी कराना,राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना व राजकार्यों में लापरवाही बरतना।	17	उवसं विभागीय कार्य मण्डल बीकानेर के ज्ञापन सं0 51 दि. 18.5.09	उवसं विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर।	उवसं विभागीय कार्य मण्डल बीकानेर के आदेश क्रमांक 815 दि. 31.3.11 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	—	—
		बिना माइक्रोप्लान बनाए वृक्षारोपण कार्यों का निष्पादन	17	मवअ कोटा के ज्ञापन क्रमांक 15714 दि. 18. 12.09	मवअ, कोटा	मण्डल वन अधिकारी कोटा के आदेश क्रमांक एफ()जॉच/मवअ/ 18821- 32 दि. 30.12.11 द्वारा आरोप सिद्ध होने से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
157	श्री राजीव लोचन पाठक पुत्र मुरारी लाल पाठक	—	—	—	—	—	—	—
158	श्री गोपाल सिंह चारण पुत्र किशन सिंह चारण	—	—	—	—	—	—	—
159	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
160	श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
161	श्री ओमप्रकाश करवासरा पुत्र मालीराम (भू.सं.)	—	—	—	—	—	—	—
162	श्री अरूण शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मदेव शर्मा	जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 का 206 वाँ प्रतिवेदन बाबत बिना माइक्रोप्लान/ तकनीकी स्वीकृति के वृक्षारोपण कार्य करवाना।	17	मवअ. बून्दी का आदेश क्रमांक 14479 दिनांक 7.11.09	—	—	—	प्रकरण में वन मण्डल स्तर से निस्तारण अपेक्षित है।
163	श्री देवेन्द्र कुमार तिवाडी पुत्र श्री द्वारका नाथ	—	—	—	—	—	—	—

164	श्री संजीव शर्मा पुत्र ताराचन्द्र शर्मा (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
165	श्री गिराज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
166	श्री दुर्गादान चारण पुत्र श्री चैनसिंह चारण	वन मित्रों के चयन एवं भुगतान में अनियमितता।	17	मवअ, झालावाड का आदेश क्रमांक 11546 दि. 31.10.10	—	—	—	मवअ, झालावाड के यहाँ विचाराधीन है।
		जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 का 206 वॉ प्रतिवेदन बिना माइक्रोप्लान/ तकनीकी स्वीकृति के वृक्षारोपण कार्य करवाना।	17	मवअ, बून्दी का आदेश क्रमांक 14777 दिनांक 7.11.2010	—	—	—	मवअ, बून्दी के यहाँ विचाराधीन है।
		अवैध आरा मशीने संचालन कराने बाबत।	16	मुवसं कोटा के आदेश सं0 3032 दि. 9.8.11	उवसं झालावाड पत्रांक 7401-05 दि.10.7.12	—	जॉच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।	मुवसं कोटा यहाँ विचाराधीन है।
		अवैध कटान गुर्जर की बरडी	17	उवसं झालावाड के पत्रांक 4011 दि. 5.4.13	—	—	प्रकरण का निस्तारण वन मण्डल झालावाड के स्तर से अपेक्षित है।	—
		नौलखा किले पर करवाये गये कार्यों का भुगतान नहीं करना	17	उवसं झालावाड के पत्रांक 1459-64 दि. 11.2.13	—	—	प्रकरण का निस्तारण वन मण्डल झालावाड के स्तर से अपेक्षित है।	—
		खनन हेतु वन सीमा की गलत रिपोर्ट देने बाबत।		उवसं झालावाड 10203 दिनांक 6.9.2006	—	आदेश क्रमांक 5083-91 दि. 15.5.12 से सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियाँ असंचित प्रभाव से रोकी गईं।	—	—
		जब्तशुदा ट्रेक्टर आर.जे.17 आर.ए. 3583 को वापस अपराधी को सम्भलाने बाबत।		उवसं झालावाड 10079 दिनांक 1.8.2011	—	आदेश क्रमांक 3649-57 दि. 12.4.2012 से सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गई।	—	—
		जी.पी.एस. ट्रेनिंग में देर से उपस्थित होने बाबत।	17	उवसं झालावाड 1995 दिनांक 17.2.2012	—	आदेश क्रमांक 5260-66 दि. 27.3.2012 से सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।	—	—

167	श्री पंकज कुमार गुप्ता पुत्र श्री मदन लाल	—	—	—	—	—	—	—
168	श्री सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र हनुमान प्रसाद गुप्ता	—	—	—	—	—	—	—
169	श्री सतीश कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन	—	—	—	—	—	—	—
170	श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री देवकीनन्दन	—	—	—	—	—	—	—
171	श्री जगदीप सिंह दहिया पुत्र श्री विजय सिंह	—	—	—	—	—	—	—
172	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल	आदेशों की अवहेलना करना	17	17333 दिनांक 9.12.2009	—	मवअ, कोटा के आदेश क्रमांक 11562-68 दि. 21.7.2011 के अनुसार अधिरोपित आदेशों के अवहेलना के दोषी सिद्ध होने से दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया	—	—
		कर्तव्योपेक्षा बरतना एवं वन अपराधियों का सहयोग करना। उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करना।	17	मवअ. कोटा का आदेश क्रमांक 8921 दि. 7.6. 2011	—	—	—	मवअ, कोटा के यहाँ विचाराधीन है।
173	श्री अनुराग कुमार भटनागर पुत्र सत्येन्द्र कुमार	—	—	—	—	—	—	—
174	श्री चन्द्रपाल सिंह चौहान पुत्र श्री सुरतान सिंह	—	—	—	—	—	—	—
175	श्री जयदेव सिंह चारण पुत्र श्री कान सिंह	—	—	—	—	—	—	—
176	श्री विक्रम सिंह शेखावत पुत्र श्री अमर सिंह	—	—	—	—	—	—	प्रमुवसं, राज0 के आदेश सं0 7136-43 दि. 27.7.05 द्वारा दि.28.7.05 से 27.10.10 तक कुल 5 पॉच वर्ष का विशेष अवैतनिक अवकाश के उपयोग की अनुमति दी गई।

177	श्री नाहर सिंह सिनसिनवार पुत्र श्री गोखल सिंह	—	17	मवअ कोटा के पत्र दिनांक 19.8.2011	—	मवअ, कोटा के आदेश दिनांक 8.8.12 से एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	—	प्रकरण मुवसं, कोटा के यहाँ विचाराधीन है।
178	श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री लल्लूप्रसाद शर्मा	—	—	—	—	—	—	—
179	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामचरण लाल	सोरसन निषिद्ध क्षेत्र में खनन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	16	प.1(133)का/ क-3/ 02 दिनांक 19.9.02	आयुक्त द्वितीय विभागीय जॉच जयपुर	—	प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।	—
180	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री निरंजन लाल	—	—	—	—	भ्रनिब्यूरो 43/04 दि. 5.3.2004 दर्ज होने पर इस कार्यालय के आदेश सं0 851-58 दिनांक 9.3. 2004 से निलम्बित किया गया। कार्यालय पत्रांक 3871-80 दिनांक 22.12.2010 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 25.5.2010 की अनुपालना में निलम्बन से बहाल किया गया।	—	—
181	श्री तरुण कुमार मेहरा पुत्र श्री गुलाब चन्द	—	—	—	—	—	—	—
182	श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री बिहारी लाल	अनूपगढ़ शाखा की आर.डी. 27-68 पर 621 पेड़ों का अवैध कटान बाबत।	16	1628/17.6. 2011	9.3.2012	—	उवसं, (प्रशासन) कार्यालय मुवसं, बीकानेर द्वारा जॉच की जा रही है।	—
		पदस्थापन अवधि 11.10.04 से 05. 04.2005 तक क्षेत्रीय विबरधवाल के पद पर रहते हुए इ.गा.न.परि. मुख्य नगर की आर.डी. 268-269 पर 300 पेड़ों के अवैध कटान से राज्य सरकार को रू0 2,47,830/- की हानि पहुँचाकर राज्यकार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतना।	16	167/30.1.2012	26.12.2012	—	वन संरक्षक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर द्वारा जॉच की जा रही है।	—
183	श्री राकेश कुमार दुलार पुत्र सोहनसिंह (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
184	श्री अहमद हारुण कादरी पुत्र अब्दुल समद (प्रोवीजनल)	400 नग एलुमिनयम पाइप एवं एक बैटरी 12 बोल्ट चोरी	17	1067 दि. 26.12. 03	—	—	कार्य आयोजना अधिकारी बीकानेर के स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है।	—

185	श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र हनुमानप्रसाद (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
186	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र अमर सिंह(प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
187	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री छबीलाराम (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
188	श्री रविन्द्र सिंह काला पुत्र प्रीतम सिंह (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
189	श्री ओम प्रकाश सुथार पुत्र चन्द्रराम (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
190	श्री विनोद कुमार राय पुत्र कमला प्रसाद (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
191	श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र महावीर सिंह शर्मा (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
192	श्री देवेन्द्र सिंह भाटी पुत्र चन्दन सिंह भाटी (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
193	श्री सुरेन्द्र सिंह धाकड़ पुत्र सोहनलाल (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
194	श्री गिर्राज प्रसाद मंगल पुत्र गोरधनलाल (प्रोवीजनल)	उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।	17	मवअ. बून्दी के आदेश क्रमांक 5845 दिनांक 16.5.2011	—	—	—	प्रकरण मवअ बून्दी के यहाँ विचाराधीन है।
195	श्री सुशील कुमार सैनी पुत्र सूरजमल (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
196	श्री उमेश कुमार बंसल पुत्र रघुनाथ बंसल (प्रोवीजनल)	—	—	—	—	—	—	—
197	श्री ओम प्रकाश शर्मा	—	—	—	—	—	—	—

	पुत्र शंकर लाल (प्रोवीजनल)							
198	श्री तारासिंह पुत्र बिस्सू राम	—	—	—	—	—	—	—
199	श्री रामसिंह पुत्र रामोली	—	—	—	—	—	—	—
200	श्री मगनीराम कुमावत पुत्र लालूराम	—	—	—	—	—	—	—
201	शान्ति लाल खाव्या पुत्र मांगी लाल	—	—	—	—	—	—	—
202	रविन्द्र कुमार भार्गव पुत्र नारायण दास	—	—	—	—	—	—	—
203	हनुमान पुरी पुत्र नारायण पुरी	—	—	—	—	—	—	—
204	महावीर कुमार जैन पुत्र रामजी लाल	—	—	—	—	—	—	—
205	भंवर सिंह राठौड पुत्र प्रहलाद सिंह	—	—	—	—	—	—	—
206	संग्राम सिंह पुत्र फतेह सिंह	—	—	—	—	—	—	—
207	ओम प्रकाश पुत्र मांगी लाल	—	—	—	—	—	—	—
208	नैना राम पुत्र उगमा राम	वृक्षारोपण स्थलों पर पौधों की जीवित प्रतिशतता कम पाये जाने के कारण	17	1595, दिनांक 13.7.10	—	पत्रांक 2430 दिनांक 16.9.10 से दण्डित किया गया।	—	—
209	पुरुषोत्तम पुत्र जीवा राम	—	—	—	—	—	—	—
210	आनन्द वर्मा पुत्र रतन लाल	राजकीय राशि को खुर्द-बुर्द करना।	17	उवसं बारां का पत्रांक 4784 दि. 13.5.2011	—	—	वन मण्डल स्तर से निस्तारण अपेक्षित है। कार्यवाही जारी है।	—
211	प्रभु दयाल जग्नवाल पुत्र देव बक्श	—	—	—	—	—	—	—
212	कन्हैया लाल पुत्र रामधन	—	—	—	—	—	—	सेवानिवृत्त
213	बहादुर सिंह पुत्र केशर सिंह	—	—	—	—	—	—	—

214	सुदेश पालीवाल पुत्र रूप राम	—	—	—	—	—	—	—
215	सत्यपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह	—	—	—	—	—	—	—
216	जब्बर सिंह पुत्र बने सिंह	—	—	—	—	—	—	—
217	भगवती सिंह पुत्र रक्षपाल दान	—	—	—	—	—	—	—
218	मंसूर अहमद पुत्र जफर इकबाल	—	—	—	—	—	—	—
219	महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह	—	—	—	—	—	—	—
220	राजेन्द्र कुमार पुत्र सत्य नारायण	—	—	—	—	—	—	—
221	घनश्याम जाटव पुत्र भैरू लाल	बिना माइक्रोप्लान बनाये वृक्षारोपण कराना।	17	8103 दि. 11.11. 09	—	मुवसं भरतपुर के आदेश क्रमांक 4553-60 दिनांक 25.8.11 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।	—	—
222	निर्मल कुमार पुत्र विजय बहादुर	—	—	—	—	—	—	—
223	प्रेम नारायण पुत्र अमर नारायण	—	—	—	—	—	—	—
224	छगन सिंह पुत्र नन्द सिंह	—	—	—	—	—	—	—
225	हरि मोहन मुदगल पुत्र जगमोहन मुदगल	रोड चौडीकरण के संबंध में	17	मवअ झालावाड़ का आदेश क्रमांक 1560 दि. 2.2.12	—	—	प्रकरण में वन मण्डल स्तर से निस्तारण अपेक्षित है।	—
226	मनोहर सिंह पुत्र देवी सिंह	—	—	—	—	—	—	—
227	अतर सिंह पुत्र बहोरी राम	—	—	—	—	—	—	—
228	ईश्वर सिंह मीणा पुत्र कजोड सिंह	—	—	—	—	—	—	—

क्षेत्रीय ग्रेड-1 से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र क्षेत्रीय-1 के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं पुलिस में दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरणों का विवरण

क्र. सं	क्षेत्रीय-1 की जारी वरिष्ठता सूची क्रमांक	नाम क्षेत्रीय	एफ.आई.आर.संख्या एवं दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	4	श्री भुवनेश कुमार उत्तरेजा	201/1999	कीटनाशक दवा खरीद में गबन कर रूपये 12080/- की हानि पहुँचाना।	इस कार्यालय के पत्रांक एफ.18()98/जॉच/प्रमुवसं/3740 दि. 30.10.02 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई।	दि. 12.10.10 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
2	14	श्री प्रताप सिंह झाला	211/1996	आय से अधिक सम्पत्ति रखने बाबत।	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2389 दि. 6.8.1999 से अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।	दिनांक 4.10.99 को कोर्ट में चालान पेश हो चुका है।
3	16	श्री नवनीत कुमार ठक्कर	92/97	प्रमुवसं जयपुर के आदेश क्रमांक 4758-60 दि. 15.2.12 के अनुसार ए.सी.बी. प्रकरण संख्या 92/97 में माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारक उदयपुर द्वारा दिनांक 31.3.08 को श्री ठक्कर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। दिये गये निर्णय के विरुद्ध ब्यूरो मुख्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।	ए.सी.बी. प्रकरण संख्या 92/97 में माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारक उदयपुर द्वारा दिनांक 31.3.08 को श्री ठक्कर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया। दिये गये निर्णय के विरुद्ध ब्यूरो मुख्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।	-
4	23	श्री प्रमोद कुमार जैन	25/1997 25.1.97	रिश्वत लेने बाबत।	प्रकरण में दि. 28.10.04 को माननीय न्यायालय में आरोप मुक्त किया गया। ब्यूरो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई जो विचाराधीन है।	-
5	26	श्री राकेश माथुर	219/2006 19.8.06	आय से अधिक सम्पत्ति।	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।	शासन उप सचिव कार्मिक (क-3) शिका/विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(2)(113)का/क-3/शि/2011 दि. 20.6.2013 द्वारा प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया।
6	31	श्री मनोज कुमार	55/01	गोनेर स्थित वन विभाग के वृक्षारोपण में वर्ष 1999-2000 में 10,000 पौधे लगे बताकर केवल 4515 खड्डे खोदकर सरकार को हानि पहुँचाना।	इस कार्यालय के पत्रांक 1712 दिनांक 30.5.08 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।	इस कार्यालय के आदेश संख्या 1726 दिनांक 30.5.08 द्वारा निलम्बित किया गया।
7	86	श्री तेजवीर सिंह	12/2010 18.1.2010	इनके विरुद्ध ए.सी.बी. द्वारा ट्रेप कार्यवाही अपराध संख्या 12/2010 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)डी, 13(2)पीसी एक्ट 1988 के तहत जारी है	इनके विरुद्ध ए.सी.बी.द्वारा ट्रेप कार्यवाही अपराध संख्या 12/2010 अन्तर्गत धारा 7,13 (1)डी. 13(2)पी.सी.एक्ट 1988 के तहत जारी है। प्रमुवसं राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.11(6)जॉच/प्रमुवसं/2941-48 दिनांक 17.10.12 द्वारा निलम्बित कर मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर कार्यालय में किया हुआ है। विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है।	-

क्र. सं	क्षेत्रीय-1 की जारी वरिष्ठता सूची क्रमांक	नाम क्षेत्रीय	एफ.आई.आर.संख्या एवं दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
8	90	श्री महेश कुमार चौधरी	243/03 18.9.2003	आय से अधिक सम्पत्ति	ब्यूरो द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।	अति. पुलिस अधीक्षक (अ.शा.) जयपुर द्वारा पत्रांक 5350-53 दि. 29.6.11 के द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जोधपुर को साक्ष्य के अभाव में अन्तिम प्रतिवेदन तैयार कर शीघ्र न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा है। श्री महेश कुमार चौधरी ने दिनांक 31.12.2011 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ माननीय न्यायालय जोधपुर के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है जो संलग्न है।
9	101	श्री सूरत सिंह पूनियां	—	—	प्रमुखसं राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 3039-44 दि. 26.8.09 द्वारा अति० पुलिस अधीक्षक (परि) भ्रनिब्यूरो जयपुर द्वारा दर्ज प्रकरण संख्या 780/2008 दिनांक 28.4.08 के प्रकरण की जाँच करने हेतु वन संरक्षक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को प्रारम्भिक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।	—
10	134	श्री राजबिहारी मित्तल	78/10	माईनिंग लीज नं० 109/99 का आवेदित क्षेत्र वन सीमा में नही होने का गलत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय ए.सी.बी. जयपुर द्वारा उनके पत्रांक 1092-93 दि. 27.11.12 द्वारा अनुसंधान उपरान्त सी.सी.ए. 16 की कार्यवाही कराने जाने का निर्णय लिया गया।	—
11	141	श्री विष्णु कुमार गुप्ता	164/2004	आपराधिक प्रकरण	प्रकरण माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में विचाराधीन है।	—
12	156	श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी	298/08	राजकोष को 2.60 लाख की हानि पहुँचाने के दोषी पाये जाने पर	इस कार्यालय के आदेश संख्या 186 दि. 2.2.2012 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। तदुपरान्त आदेश संख्या 562-70 दि. 10.2.2012 द्वारा निलम्बित किया गया।	प्रकरण ए.सी.बी. में विचाराधीन है।
13	180	श्री मुकेश कुमार जिन्दल	43/2004	20,000/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना।	प्रमुखसं कार्यालय के पत्र क्रमांक 5374 दिनांक 29.8.2005 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।	दिनांक 7.3.2006 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
14	226	श्री मनोहर सिंह	185/2013	दिनांक 5.5.2013 को रुपये 100,000/- की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.18(4)2013/ जाँच/प्रमुखसं/1266-73 दिनांक 28.5.2013 द्वारा इन्हें निलम्बित किया गया है।	भ्रनिब्यूरो द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान की कार्यवाही जारी है।

